न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 104 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 361

1. लख्मीचन्द पिता किशना मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेडा ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. उदा पिता गौरीलाल मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेडा ।
2. देवीलाल पिता वरदू मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेडा ।
3. तहसीलदार निम्बाहेडा।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–	1–	अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली	–	.प्रार्थी स्वयं
	2–	अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत	–	विपक्षी संख्या 1
	3–	तहसीलदार निम्बाहेडा	–	स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा सेगवा पटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 46 आराजी नं. 246 रकबा 1.5200 हेक्टेयर लगानी 7.60 रू. स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है। उक्त आराजियात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो प्रार्थी के बाप दादा के समय से चला आ रहा है जो कि सेगवा से कल्याणपुरा मार्ग से जो दर्ज राजस्व रिकार्ड है से होते हुए आराजी नं. 244 जो कि विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजी उदा पिता गौरीलाल जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी सेगवा की उत्तरी मेड़ से होते हुए इसी प्रकार आराजी नं. 243 जो कि विपक्षी संख्या 2 देवीलाल पिता वरदू जी जाति मीणा की दक्षिणी मेड़ से होते हुए वादी अपनी कृषि आराजी 246 पर बाप दादाओ के समय से आता जाता रहा है तथा कृषि आराजी को हांकने जोतने के लिये ट्रेक्टर, बैल आदि ले जाता और लाता आ रहा है। वादी इसी एक मात्र कदीमी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। इस एक मात्र रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है और इस रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम मार्ग नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थी के रास्ते को बन्द करने की नियत से जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत से रास्ते को सकड़ा करने की नियत से रास्ते की भूमि [illegible] भूमि को अपनी आराजियात में मिलाकर रास्ता अवरोध करने पर आमादा [illegible] रास्ते के स्वरूप में परिवर्तन करने पर आमादा है तथा गांव के [illegible] पर भी नहीं मान रहा है। जबकि उक्त रास्ता 3 मीटर चौड़ा होकर [illegible] रास्ता प्रार्थी की आराजी पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

पर मौजूद नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीम से बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा है।

3. प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी नं. 244 की दक्षिणी मेड़ एवं 243 की उत्तरी मेड़ के मध्य से होता हुआ 3 मीटर चौड़ा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी की आराजियात की भूमि में से भूमि के बदले भूमि देकर या डीएलसी रेट से जो भी रकम बनती है देने को तैयार है किन्तु विपक्षीगण लेने को तैयार नहीं है और विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त कदीमी रास्ते को बंद करना चाहते है और रास्ते में अवरोध पैदा करना चाहते है उक्त रास्ता प्रार्थी का एक मात्र कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सूरत में प्रार्थीका अपनी आराजियात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थी की आराजी पड़त पड़ी रह जावेगी और प्रार्थी को भूमि को हर सूरत में पड़त रखवाने पर विपक्षीगण अमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत डीएलसी रेट से नहीं लेने से प्रार्थी उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में जमा करा कर राजस्व रेकार्ड में व राजस्व नक्षे में उक्त रास्ते को दर्ज कराने का अधिकारी है तथा प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ते को बदस्तुर कायम रखाने का अधिकारी है और प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है।

4. उक्त एक मात्र कदीमी रास्ते में दिनांक 06–06–2023 को जब प्रार्थी अपनी आराजी की साफ सफाई हकाई जुताई हेतु ट्रेक्टर व कृषि उपकरण लेकर गया और विपक्षीगण एवं उनके परिजनो द्वारा रास्ते में जबरन मेड को हांक कर रास्ते की भूमि को अपनी आराजियात में मिला कर उक्त रास्ते को रोकने की कोशिश की और जबरन रास्ता बंद करने की धमकिया दी और समझाने बुझाने पर भी नहीं मानने से हर रोज उत्पन्न होकर यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधी पेश है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना अपुनस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि

I. प्रार्थी व देवीलाल पिता वरदु जी मीणा निवासी सेगवा दोनो मिलकर नया रास्ता विपक्षी नं० 1 की आराजियात की मेड पाली पर नया रास्ता कायम करना चाहते है जो गलत है जबकि प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 2 की आराजियात पर आने जाने का पुराना कदीमी रास्ता जो उनका पुश्तेनी है तथा उसी रास्ते से प्रार्थी व विपक्षी नं0 2 व इनके वंशज उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है वह रास्ता पुराना जो खान वाला रास्ता है जो मुख्य रास्ते से जो सेगवा से गादोला गांव को जाने वाला खान वाला कच्चा रास्ता है गाडी गडार वाला रास्ता है यह रास्ता उत्तर से दक्षिण है इस मुख्य रास्ते से यह रास्ता पूर्व दिशा में मुडता है।

II. उक्त रास्ते के उत्तर दिशा में कंवरलाल पिता उदयराम जी मीणा निवासी सेगवा व दक्षिण दिशा में कालुलाल पिता लक्ष्मण जी मीणा के आराजियात के मध्य होता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तथा पुनः यह रास्ता कंवरलाल मीणा की आराजियात के दक्षिणी मेड व कालुलाल पिता लक्ष्मण जी मीणा की आराजीयातके उत्तर मेड के मध्य होता हुआ जाता है पुनः यह रास्ता जीतमल पिता गमेर जी मीणा की आराजियात के दक्षिण मेड के पास कुछ दु[illegible] कालुलाल की आराजियात के उत्तरी दिशा के पास होता हुआ पुनः यह रास्ता [illegible] दक्षिण की ओर मुडता है जो भेरू पिता मोडा की आराजियात के पश्चिम दिशा में [illegible] कालु पिता लक्ष्मण जी मीणा की आराजियात के पूर्व दिशा के मध्य होता हुआ [illegible] है पुनः यह रास्ता जो दक्षिण दिशा मे उदयलाल पिता मोहनलाल जी मीणा की आराजियात के उत्तरी दिशा में व भेरूलाल पिता मोडा जी मीणा की आराजियात के दक्षिण दिशा में होता हुआ पुनः यह रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

आगे चल कर रामलाल पिता इन्द्रमल जी मीणा की आराजियात की उत्तर दिशा मे व भेरू पिता मोडा की आराजियात के पश्चिम दिशा में होता हुआ प्रार्थी की आराजियात तक आता है।

III. उक्त रास्ता बेलगाडी व गाडी गडार का रास्ता है जो कमशः जो मुख्य सडक जो सेगवा से गादोला वाली कच्ची गाडी गडार है जिसको खान वाला रास्ता कहते है वह सडक से जो पूर्व से पश्चिम के मध्य आता है वही रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का पुराना कदिमी एक रास्ता है किन्तु जो पुराना चाहा कुआ जो भेरा पिता माडो की आराजियात के आ० नं0 247 रकबा 0.0100 हैक्टेयर है यह पुराना कुआ है तथा इस कुऐ में पूर्व में रामसुख पिता नाना जी मीणा, भेरू पिता मोडा जी मीणा, कालु पिता लक्ष्मण मीणा तीनो ने संयुक्त रूप से खुदवाया था जो भेरा पिता मोडा की कब्जे वाली आराजियात पर खुदवाया था किन्तु वर्तमान में उक्त कुऐ पर अकेला कब्जा लख्मीचन्द्र का ही है। कुऐ के पडोस पूर्व दिशा रामलाल जी, लक्ष्मण पिता इन्द्रमल जी, उदयलाल पिता मोहनलाल मीणा की आराजीयात, पश्चिम दिशा में लख्मीचन्द्र प्रार्थी उत्तर दिशा में रामसुख पिता नानालाल जी मीणा, निवासी सेगवा व वर्तमान में शम्भुलाल पिता वरदीचन्द्र जी मीणा व दक्षिण दिशा में रामलाल पिता इन्द्रमल जी की आराजियात के मध्य का है। तथा यह कुआ भी रास्ते के पास ही है।

IV. प्रार्थी के पास वैकल्पिक पुराना रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का जिससे प्रार्थी उक्त चरण में वर्णित रास्ता प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी नही है। जो रास्ता प्रार्थना पत्र में बताया गया है वह रास्ता मुख्य रास्ता गाडी गडार जो खान वाला रास्ता है जो सेगवा से गादोला जाता है यह रास्ता आ०नं० 250 कंवरलाल व आ0नं0 252 कंवरलाल के मध्य पूर्वी दिशा से होकर पश्चिम दिशा की ओर जाता है जो आ0नं0 250 के दक्षिण दिशा में तथा आ0नं0 251,252 के उत्तरी दिशा की मेड पर व पुनः यह रास्ता आ0नं0 251 व 250 तथा 449/503 की आराजियात की कुछ सीमा के जाने के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर मुडता है। जो जीतमल की आराजियात के पुर्वी कोने की कुछ दुरी पर मुडता है पुनः यह रास्ता आ0नं0 251 के पश्चिम में तथा आ0नं0 248 के पुर्व दिशा में होता हुआ जाता है पुनः यह रास्ता जहां आ०नं0 248 की दक्षिण दिशा में तथा आ०नं0 253 व आ0नं0 554/253 के उत्तरी दिशा की मेड पाली पर होता हुआ प्रार्थी की आराजियात के आ0नं0 246 के पूर्वी दिशा तक जाता है। जिसका नजरी नक्शा साथ है तथा नक्शे को रास्ते को लाल स्याही ए सेबी अंकित किया है यह रास्ता लगभग 7–8 गज चोडा है। इसके अलावा ओर कोई रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का मोके पर कोई पुराना कदिमी रास्ता मोके पर मोजुद नही है यही एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व उसके वंशज करते चले आ रहे थे। ओर कानूनी रूप से यही रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु अब प्रार्थी व विपक्षी नं0 2 देवीलाल विपक्षी नं० 1 उदा मीणा की जो उपजाउ आराजियात है को नुकसान पहुंचाने की नियत से नया रास्ता उक्त कार्यवाही से प्राप्त करना चाहते है जो कानूनन उचित नही हैं अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विपक्षी नं० 1 के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे सहित खारित कराया जावे।

सहायक कलेक्टर ★ (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुशंषा मय रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 164,175,223 खातेदारी से होकर मौका देखा गया। आराजी नम्बर 164,175,223 खातेदारी से होकर मौका पर रास्ता आराजी नम्बर 243 की पश्चिम मेड पर ग्रेवल/भर[illegible] है। वादी ने बताया कि मेरी आराजी नम्बर 246 मुझ विपक्षी उदयलाल [illegible] नम्बर 243 के खातेदार को गिरवी 8–10 वर्ष पूर्व रखनी जिससे [illegible] लिया वादी ने बताया की पूर्व में वादी की आराजी नम्बर 246 व [illegible] की आराजी नम्बर 243 संयुक्त खातेदारी में होकर एक ही विरासत की थी। इसलिए मुझे अन्य खातेदार रास्ता क्यो देंगे पहले भी मेरे खेत का रास्ता आराजी नम्बर 243 की उत्तरी मेड पर ही था। वादी की आराजी तक जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। सबसे निकटम रास्ता प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

होकर 150 गुणा 4 बराबर 600 वर्गमीटर भूमि ही आराजी नम्बर 243 की उत्तरी मेड पर रास्ता हेतु प्रयुक्त होती है। वर्तमान में अन्य कोई रास्ता नहीं होने से पडौसी खातेदारो को बटाई पर देना बताया पूर्व में विपक्षी के गिरवी होना बताया अन्य कोई रेकार्डेड या चालू रास्ता उपलब्ध नही है।

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता आराजी नं0 103 किस्म बंजड जो बिलानाम सरकार भूमि मे से है जो कि आ०नं० 103 में से पश्चिम से पूर्व दिशा में बढ़ते हुए आ०नं० 80 की उत्तरी मेड के पास से होकर प्रार्थी की आराजी नं0 79 में पहुँचता है मौके पर उक्त रास्ता करीब 30 फीट चौडाई में प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने का कायम है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र योग्य पाया जाता है।

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने के लिए मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर, जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

8. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of existing, and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सेगवा पटवार हल्का गादोला के आराजी नं0 246 रकबा 1.5200 हेक्टेयर भूमि के लिए आवागमन हेतु ग्राम सेगवा की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 243 की उत्तरी मेड पर रास्ता हेतु 600 वर्गमीटर भूमि का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की कुल कीमत डी०एल०सी दर का दुगुना प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि भूगतान के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Panchauli
Date: 2025.01.29 14:38:39 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा